time appointed for eliciting opinion on the Bill further to amend the Constitution of India".

The motion was adopted

15.30 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL— *contd*

(Insertin of new articles 23A, 23B and 23C) by Shri Y.P. Shastri.

MR DEPUTY-SPEAKER· Now further consideration of the following motion moved by Shri Y P Shastri on the 5th May, 1978, namely

> "That the Bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration" together with amendments moved thereon

Shri Kamath was on his legs Would he like to continue?

SHRI HARI VISHNU KAMATH (Hoshangabad) All right Sir, I am at the service of the House

When I spoke on the last day, i e a fortnight ago, in this House on my Hon colleague Shri Y P Shastri's Bill, I was making a point—I spoke hardly for three or four minutes—that a Sanskrit Sloka says:

बुभुक्षित कि न करोति पापम्

which means, 'what sin or crime will not a hungry man commit for his livelihood or for his selfsurvival'? Then

प रमान सतत रक्षेत् ।

This also means that everybody wants to save himself by every means possible'

I have also said that in our country today, according to the Government statistics published in the papers earlier this year, last January there was an increase of 12 per cent in the unemployed population of this country —the unemployed as registered with the Exchanges: outside the Exchanges, we do not know how many more there are There was an increase of 12 per cent during the period January 1977 to January 1978, and the figure with the Exchanges on that date in January 1978 was 11 1 million for the whole country—i e registered with the various Exchanges in the country If, behind every unemployed man or unemployed person, we compute also at least three or four persons who are dependent on him in some way or another, it will work out to about 40 to 50 million people who are hungry or without adequate food and means of livelihood and without shelter perhaps, without clothes and below the poverty line That is to say, about one-tenth of the population as registered Unregistered, below poverty-line, it is about—I do not know how many, is it 40 per cent or 30 per cent?

15 34 hrs.

[SHRI N K SHEJWALKAR *in the Chair*]

SHRI SAMAR MUKHERJEE (Howrah) More than 70 per cent in the villages

SHRI HARI VISHNU KAMATH How many are absolutely without work, we do not exactly know, but it will run into millions

SHRI SAMAR MUKHERJEE More than 50 millions

SHRI HARI VISHNU KAMATH Landless, workless, people in the rural areas are, perhaps, many more And we see the trek from the village to the town in search of employment, in search of work This searching very often turns out to be an ordeal for them and very often it reminds us of the old adage

> "Searching in the dark night in a dark room for a black cat which is not there."

[Shri Hari Vishnu Kamath]

Many people go without jobs even after leaving their villages and coming to the towns.

In our country with its six hundred million population or perhaps a little more now—I am not sure how much more it is now—we are one nation. That is true. But as many thinkers have said, in every country it is not one nation but there are two nations —of the rich and of the poor; as Bernard Shaw described in his inimitable style, 'those who have appetites but no dinners; and those who have dinners but no appetites'. These are the two nations in most countries. He referred to 'East End and West End' at that time in London, even in his own country. The proportion in the affluent countries is perhaps lower than in our country. The proportion in our coutry of the rich and the poor is, perhaps, 70—30 and 30—70. Absolutely indigent, impoverished people, people without any work, on the starvation level, may be 25 or 30 per cent or round about that in our country.

Today looking at the picture I am reminded of the lines which, believe it or not, an English poet, a young poet, wrote in the last Century. Similar conditions prevailed there at that time—similar to those prevailing in our country now. Those lines are, in some ways, haunting and unforgettable lines —very few lines, just half a dozen lines I would like to quote them for those who would like to know what England was about a century and a half ago. The poet called upon the people to rebel:

"Men of England! Wherefore plough
For the Lords who lay you low
Wherefore weave with toil and care
The rich robes your tyrants wear
Rise like lions after slumber
In unconquorable number
Shake your chains to earth like dew
Ye are many, they are few."

That is the condition today in India. That poet was not a poet of revolt like Byron. The poet was Percy Bysshe Shelley with whom such sentiments are not commonly associated. Today in our country we are, perhaps, in a similar situation: The poor are many and the rich people are few. Rise like lions after slumber, shake your chains to earth like dew. The poet wrote this before Marx did. Marx wrote in his manifesto 20 or 30 years later, 'You have nothing to lose but your chains.' But the poet wrote, 'Shake your chains to earth like dew, ye are many, they are few'

So, Sir, the Janata Government which was elected after a revolution, a peaceful and popular revolution last year, should seriously set about fulfilling its promises and I am happy to know that Shri Jayaprakash Narain who was the inspirer and mentor of the Janata Party has also called upon the government to fulfil the promises made to the electorate, to the people last year.

Sir, among these promises, one was the right to work I would like to quote from the manifesto. Sir, I have not got the English version, but I have got the Hindi manifesto This is from·

चुनाव घोषणा पत्र—आर्थिक रूप रेखा——
"रोजगार को बुनियादी अधिकार मान कर भरपूर रोजगार की व्यवस्था।"

fundamental right This is no other document but our own election manifesto

"रोजगार को बुनियादी अधिकार मान कर भरपूर रोजगार की व्यवस्था।

AN HON. MEMBER· You seem to be serious.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: I am taking it seriously; whether they are feeling serious, I do not know

I suppose I do not need to translate this into English......

SHRI VASANT SATHE (Akola): It is only necessary to translate it into action.

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): We are many, they are few.

SHRI HARI VISHNU KAMATH No, it is 'Ye are many, they are few'. It is what the poet says

MR. CHAIRMAN The hon Member's time is up

I have got 12 more speakers I am just giving you the warning You have to come to the end

SHRI HARI VISHNU KAMATH I am prepared in stop if you want me to stop because I have already moved I have a few more points to make and I think I will take about 10 minutes more if you give me

MR CHAIRMAN: I will request the other hon Members of the House to accommodate you and you kindly finish within five minutes

SHRI HARI VISHNU KAMATH I will try my very best to do so

Then, Sir, Dr Ambedkar who was the pilot of the Constitution Bill in his last speech in the Constituent Assembly, during the third reading of the Constitution Bill made a significant speech and I have quoted from that speech so often that I have got those words almost by rote One sentence in the statement that he made is this

"Political democracy cannot survive without economic and social democracy"

And I think all of us in the House, right, left and the centre will agree with that proposition. . .

SHRI P. K KODIYAN (Adoor) We fully agree.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: You fully agree, I am glad. Without any reservations, I suppose.

Therefore what we have got to do now? We have already completed one year and three months of our tenure in this House

AN HON MEMBER: It is one year and four months.

SHRI HARI VISHNU KAMATH. I am sorry, I accept your amendment. It is one year and four months If the tenure of the House is going to be six years, then it will be less than one-fourth of the term. If it is going to be a five year term—I do not know whether the hon Members on those Benches will support that amendment, but, anyway, that is a minor point .

SHRI VASANT SATHE It will be one year less We will agree

AN HON MEMBER We can dislodge you

SHRI HARI VISHNU KAMATH Your dislodging us and coming back? Take a chance You will be given a chance to dislodge Don't be sure of dislodging us and coming back You may come back m lesser numbers Think coolly about it and decide whether it should be five years or six years

SHRI VASANT SATHE We will be thankful to you if you make it 2 years

SHRI HARI VISHNU KAMATH Then you have no chance at all You will have no chance to come back.

Then, Sir, we have completed one year four months and less than four years remain I would, therefore, urge the Government to lay aside all other petty matters, comparatively petty matters

AN HON MEMBER: What about the Commissions?

SHRI HARI VISHNU KAMATH: Commissiors are functioning. I say you set aside comparatively petty programmes. I even venture to suggest to lay aside even prohibition for the time being. I do not know whether I am trading on any ministers' corns, but I am sure the Law Minister is not among them. If I am offending the sentiments of some ministers and some other Members too,—I am sure, several Members are very very sensitive on this issue, I do not wish to offend them, if I have offended anybody I want them to pardon me. I would suggest this. Leave aside comparatively minor programmes. In relation to the unemployment programme bringing down prices inflation and the law and order situation are the major problems facing this country today. I am glad to see this morning's paper that even the Prime Minister said in the other place—I suppose Rajya Sabha is referred to as the other place, that is the convention to refer the other House as the other place—that though there has been no increase in crimes in Delhi City, in the Union Territory of Delhi, the overall law and order situation needs to be improved. He admitted it. So, I submit in all humility that the major problems before the Government are these. I hope that they would turn their attention and all their active energies—which they have got in plenty, in abundance, I am sure—to the tackling of these problems of unemployment, rocketing prices, the law and order situation and inflation.

Now, Sir, look at the plea made by the Government to the effect that to provide the right to work, they have not got the economic wherewithall, financial wherewithal. That is the main plea made by the Government. I do not know how much it would cost the Government. I have not worked that out because I am not an economist nor a financial expert, nor do I know much about those dots and decimals. I do not know much about it. Of course, Mr. Patel is here. Look at the telling figures. On one side you say there are workless people without any salary or without pay, without any money—not even Rs. 100 with them. Look at this chart, these telling figures, tell-tale figures placed on the table of the House only on the 1st August three days ago in reply to a question by my hon. friend, Shri Jyotirmoy Bosu. He asked for the *information with regard to remuneration* paid to the first ten top executives of various companies in this country. The names mentioned by him are:

(1) Bata Shoe Co.;

(2) Colgate Palmolive India;

(3) Hindustan Leaver;

(4) Cadbury India;

(5) Tata Iron and Steel Company;

(6) Pfizer;

(7) Glaxo Laboratories;

(8) India Tobacco; and

(9) JK Synthetics.

These are the figures given by the Government. I do not know how many of you have seen them If you have seen, then I need not waste the time of the House. *Interruptions*). It ranges from the lowest annual remuneration to these companies' top executives as about Rs. 63,000. Nobody gets less than this. I do not know if it includes perquisites. (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: You have finished further more two minutes.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: I am finishing in two minutes. As regards the ceiling on the remuneration the top most executive gets Rs. 2,70,000 in M/s. Bata India Limited and two lakh twenty-eight thousand in another, *namely*, *Colgate Palmolive*. From sixty-three thousand as the floor it has reached the ceiling of two lakh. Hasn't the Government got any powers to set right this atrocious disparity. They are talking of disparity between incomes. The other day the Bhootha-

lingam report was placed on the Table of the House. I do not know what action Government has taken to reduce disparity between salaries. As regards incomes, the other day a statement was made in respect of the top-most incomes—whether it is Birlas or Tatas, I do not know. By how many crores their income has increased during the regime of my friends on the other side of the House!

श्री ब्रज भूषण तिवारी (खलीलाबाद) : इतनी जल्दी कैसे घटेगी ?

श्री हरि विष्णु कामत : एक साल में कैसे घट सकती है, कोशिश की जानी चाहिए।

MR. CHAIRMAN: Please wind up.

SHRI HARI VISHNU KAMATH. I am winding up. So, Sir, I would only remind the House and the Minister of the Resolution adopted by this very House last year. I would not have liked to refer to that, because it was moved by me and Shri Charan Singh had accepted it in its entirety.

वह मरेबों में होने थे और इन इट्स एंटायरटी उन्होंने कहा था। पूर्णत . . .

श्री राज नारायण पूर्णतया (व्यवधान)।

श्री हरि विष्णु कामत : हमारे राज नारायण जी थोड़ा हैं। आर्थिक सामाजिक क्रांति के लिए लड़ते रहेंगे।

'I accept the Resolution in its entirty on behalf of the Government,' he said, on the 22nd July, 1977. I will not read the whole Resolution but only the last para which is relevant to this Bill. I quote:

"This House solemnly pledges its earnest endeavour for the speedy accomplishment, in close cooperation with the people and by peaceful, legitimate methods, of a socio-economic revolution,...."

So, the House is committed to a socio economic revolution. (*Interruptions*)

This is the commitment of the House—

"....illumined by democratic standards, vivified by socialist ideals, and firmly founded on moral and spiritual values."

I would be very happy if the Bill is adopted by the Government. There are two other minor aspects of the Bill—right to education and also old-age and sickness allowance. But the main thrust of the Bill is the right to work.

SHRI VASANT SATHE. Younger people may also need it.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: I leave those to elder people, but not all old people may be in need of it. Some young people may also need it. So, I will be very happy if the Government accepts the Bill but I am sure the Government will not accept it. I have a hunch that the Government will not, because they have got their own difficulties.

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): Your hunch is invariably right.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: They have economic and financial difficulties. They will bring out the Government's point of view like this. They have already said that there is already a provision in the Constitution; right to work is a directive principle of State policy and that is sufficient for the present until Government is in a better position, until the State coffers are full, until the national cake is bigger and then they will be able to distribute among the people in a better way. That will be the

[Shri Hari Vishnu Kamath]

Government's reply to this Debate on the Bill. Therefore I have suggested this. I am moving as a via media or a *modus vivendi* that the Bill may be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon. I have mentioned the date also, namely, January 27, 1979. (*Interruptions*)

SHRI ANNASAHEB GOTKHINDE (Sangli): They have wasted one year.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: You have wasted 30 years. You have no right to teach us. I said, we may get public opinion by the 27th January, 1979 Originally I had put the date as 26th January, but I was told that such dates are not generally fixed on holidays.

MR. CHAIRMAN One day does not make any difference.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: So, I said, next day, that is, the 27th January, 1979 I said that the Bill might be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by January 27, 1979, that is, early next year I have only one more observation to make and that is .

MR. CHAIRMAN: You have taken a long time

SHRI HARI VISHNU KAMATH. In the Constitution (Forty-fifth Amendment) Bill, there is already a provision for Referendum on various issues, on Fundamental Rights and others. This procedure of eliciting opinion has already been adopted in the case of my Bill regarding World Government This is a sort of mini-referendum. Let the people say what they want to say and then it will come again before the House. So let us begin now..

चौधरी बलबीर सिंह (होशियारपुर) : रेफरेंडम तो हो गया, लोगों ने वोट दिये और आपको गद्दी पर बैठा दिया ।

श्री हरि विष्णु कामत : इसको अगर आप रेफ़रेंडम मानते हैं तो अच्छा है। लेकिन अगर सरकार नहीं मानती है तो इसको भेज दिया जावे

So, that is my Motion, Sir. I have moved my motion and I commend it for the whole-hearted and unanimous acceptance of the House.

MR. CHAIRMAN: Looking to the time available at our disposal I will request the hon. Minister to begin his speech by 4-45 P.M. Before that as many as possible will be accommodaed.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar): At 5-40 perhaps the Half-an-hour discussion will start. So, the other Bill should come in Upto 5-35 P M. We can discuss this.

MR. CHAIRMAN: You cannot.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Even the Mover will agree. The whole House will agree

MR. CHAIRMAN: I have calculated the time. The time for the consideration of this Bill is up to 5-15 Thereafter, 5 or 10 minutes will be required for the other one.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Only 5 minutes.

MR. CHAIRMAN: He has to reply. Unfortunately, hon. Members do not cooperate. If it is 5 minutes, they don't finish in 5 minutes; it will take up to 10 minutes and even 20 minutes. Up to that time it will go. I have followed you. The time at the disposal of the other hon. Member is not much. Now I call Mr. Vasant Sathe.

16.00 hrs.

श्री वसन्त साठे (अकोला) : सभापति जी, हमारे माननीय सदस्य शास्त्री जी जो यह बिल लाये हैं, मैं उनका

अभिनन्दन करता हूं और स बिल का हृदय से स्वागत करता हूं ।

श्री राज नारायण : अनुमोदन करता हूं ।

श्री बसन्त साठे : स्वागत पहले करता हू और अनुमोदन करते हुए मैं अपने चन्द ख्यालात माननीय सदन और विधि मंत्री श्री शान्ति भूषण जी के समक्ष पेश करना चाहता हू ।

हमारे संविधान मे आर्टिकल 37 मे हमने यह कहा है कि घटना (संविधान) के जो डायरेक्टिव प्रिन्सिपल्स है, मैं वह आर्टिकल पढ़ देता हू ।

"The provisions contained in this Part shall not be enforce able by any court, but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the State to apply these principles in making laws"

Let us now see Article 39

"The State shall, in particular, direct its policy towards securing—

(a) that the citizens, men and women equally, have the right to an adequate means of livelihood

(b) that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good,

(c) that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment;

(e) that the health and strength of workers, men and women, and the tender age of children are abused and that citizens are not forced to economic necessity to enter avocations unsuited to their age or strength,

(f) that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment."

अब सभापति जी, शास्त्री जी का जो यह प्रस्ताव है उस घटना के मूलभूत हक में स्थान देने के लिए क्या दिक्कत है ? मैनिफैस्टो मे तो बात है, लेकिन दिक्कत वही है जो 30 साल से हमारी सरकार भी रटती आई है । वही बात यह सरकार भी रट रही हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नही है कि हम लोगो को बेकारी भत्ता दे सकें और बूढ़ो तथा अपगो को कुछ राहत दे सकें । मैं बहुत नम्रता के साथ एक बुनियादी बात कहना चाहता हू कि चाहे यह सरकार हो और चाहे वह सरकार हो जब तक ओनरशिप के ढाचे को नही बदला जाता है, जैसा कि आर्टिकल 39 मे कहा गया है, और यह तय नही किया जाता है कि सारी सम्पत्ति किस के हाथो मे रहे, तब तक कुछ भी नही होने वाला है चाहे कितना भी सिर पटक लीजिए । (व्यवधान) यह झगडा इस या उस सरकार का नही है । यह झगडा है बुनियादी सिस्टम का । हमारे देश मे जो पूंजीवादी सिस्टम चल रहा है उसको हम हाथ नही लगा पा रहे हैं—वह सरकार भी नही लगा पाई और यह सरकार भी नही लगा पाई । जब तक हम उसको हाथ लगाने के लिए तैयार न हो जाये तब तक यह समस्या हल नही हो सकती है ।

इस देश मे कौन सरकार चलाता है ? वे बड़ पूंजीपति, जिनके हाथ मे देश का तमाम कैपिटल फार्मेशन सकलित हो गया है । ब्यूरोक्रेसी, जिस का इस सिस्टम मे वेस्टिड इन्ट्रेस्ट है । इस सिस्टम आफ एक्सप्लायटेशन, इस शोषण की व्यवस्था, मे जिन लोगो के निहित स्वार्थ हैं, वे लोग इस देश को चला रहे है और

[श्री बसन्त साठे]

हम एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। आज हम लोगों में यह क्या झगड़ा हो रहा है? मैंने श्री राजनारायण को चार गालियां दे दी और श्री राज नारायण ने हमें गालियां दे दी। किसी दूसरे ने हमें पचास गालियां दे दी। इस सदन में हमारी सारी शक्ति इसी में खर्च हो रही है, और वे लोग हंस रहे हैं, मजा मार रहे हैं।

इस देश में कितना काला धन पैदा हुआ? एक तो वांचू कमेटी बनी थी, और उसके बाद टैक्सेशन लाज के बारे में एक सिलेक्ट कमेटी बनी थी, जिसका मैं भी सदस्य था। वांचू कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार इस देश में कम से कम बीस हजार करोड़ रुपए की अनएकाउंटिड वैल्थ जमा है। तीस साल में जो पैदा हुआ, वह संकलित कहां हुआ? (व्यवधान) अगर माननीय सदस्य और हम मैं तू-तू मैं-मैं में पड़े रहेंगे, तो फिर वे इस सवाल को हल नहीं कर सकेंगे। अगर उनको इसी से खुशी होती है, तो वे ग्रामोफोन रिकार्ड की तरह इसको रटते रहें। लेकिन इस तरह यह सवाल हल नहीं होगा।

सरकार की तरफ से बहाना बनाया जाता है कि हमारे पास पैसा नहीं है हम बेकारी भत्ता कैसे दें और शास्त्री जी के सुझाव के मुताबिक राइट टु वर्क को संविधान में कैसे सम्मिलित करें। सरकार एक हजार करोड़ रुपया एक फैड पर खर्च करने के लिए तैयार है लेकिन इस काम के लिए उसको 500 करोड़ रुपया नहीं मिल रहा है।

जिस दिन सरकार ने राइट टु वर्क को संविधान के मूलभूत अधिकारों में सम्मिलित कर लिया, उसी दिन वह यह सोचने के लिए बाध्य हो जायेगी कि इनकम की जो डिस्पैरिटी है, उसको हम कैसे रोकें। जब तक इस की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा, और रिच गोइंग रिचर, पुअर रिमेंनिंग पुअर, यह जो गैप बढ़ती गई और 3 हजार लोगों के हाथ में यह सारा धन और यह सारी सम्पत्ति इस देश की आज संकलित है, आप इसको हाथ नहीं लगा पायेंगे। मेरी नम्र प्रार्थना इतनी ही है। आपको बड़ी खुशी होती है, हम जब बोलने खड़े होते हैं तो सारे लोग कहते हैं कि आपने क्या किया, आपने क्या किया? अच्छा, हमने झख मारा, आप भी झख मारेंगे क्या? (व्यवधान) यह तो हमको चलाया पूंजीपतियों ने और ब्यूरोक्रेसी ने, तुमको भी वही चला रहे हैं और वही चलायेंगे। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं बड़ी नम्रता से कि इस बात के ऊपर ध्यान दो, इस सदन में इस बुनियादी बात के ऊपर चर्चा करो। है किसी का ध्यान इन बातों के ऊपर? नहीं है। We are running a Government on non-issues सारा समय हमारा नान इश्यूज और पालिटिक्स आफ परसनल पावर में जा रहा है समय बर्बाद हो रहा है। असली मुद्दे की तरफ ध्यान देने की फुर्सत नहीं है। सारी ताकत लगती है आपकी एक बात के ऊपर। कल जैसे राजनारायण जी ने कहा कि सर काट के दे दो थाली में हमारे सामने तब हमारी आत्मा शांत होगी। यही कहने का मतलब उनका था। मैं आपसे कहता हूं कि यह नान-इश्यू है। छोड़ दो जनता के ऊपर, छोड़ दो उस जनता जनार्दन के ऊपर। जिस जनता जनार्दन ने तुमको राष्ट्र का सिंहासन दे दिया उसी पर छोड़ दो कि किसको ऊपर लाना है किसको ऊपर नहीं लाना है। अरे, हम सब बोल रहे हैं, ईश्वर जिसको बचाता है उसको न कोई मार सकता है और ईश्वर जिसको मारता है उसको न कोई बचा सकता है। मैं जब ईश्वर की बात करता हूं तो उस जनता के ईश्वर की बात करता हूं, जनता जनार्दन की बात करता हूं और जनता जनार्दन जिसको मारता है उसे कोई बचा नहीं सकता। आप क्या मारने वाले हैं और आप क्या मारने की बात

सकते हैं। इसलिए यह घमंड मत करो, यह मान मत करो कि हम बड़े हो गए, हम ऐसे हो गये। सबके सिर काटेंगे। असली मुद्दे की बात करो। असली दुश्मन हैं यह पूंजीपति लोग, यह पूंजीवादी व्यवस्था, ये पंजीशाह और उनसे मिली हुई ब्यूरोक्रेसी। इस पर विचार करो। तब शास्त्री जी जो यह प्रस्ताव लाए हैं, सही अर्थ में उसको कानून का रूप दिया जा सकता है। मेरी यही नम्र प्रार्थना आपके सबके सम्मुख विचार करने के लिए है।

श्री दुर्गा चंद (कांगड़ा) : श्री यमुना प्रसाद शास्त्री जी ने जो यह विधेयक प्रस्तुत किया है इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने राष्ट्र की सबसे बड़ी समस्याओं पर अपना अंगुष्ठ रखने की कोशिश की है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल 39, 41 और 45 में सरकार को यह डायरेक्शन दी गई है कि अनएम्पलायमेंट के मसले पर, एजूकेशन के मसले पर और जो डिसएबल्ड परसंस हैं उनके मुताल्लिक वह ऐसे कानून बनाए। लेकिन मैं समझता हूं अनएम्पलायमेन्ट का जो मसला है, यह जो इतना बर्निंग उग्र, ज्वलंत समस्या इस देश मे है इसको सरकार ने हल करने की कोशिश नही की तो हमारी जितनी भी विकास योजनायें चल रही है वह जनता को जरा भी प्रभावित नही कर सकेगी। जैसा कि अभी कामत साहब ने बताया है कि तकरीबन 11 मिलियन पढ़े लिखे बेकार एम्पलायमेन्ट एक्सचेंजेज मे पडे हुए हैं। इसमे ऐसे बेकार लोग हैं जिनको कुछ वक्त के लिए रोजी मिलती है और ऐसे लोग भी हैं जिनके पास वह भी नही है। आज हर प्रदेश में और हर जिले में ऐसा चित्र दिखाई दे रहा है कि पढे-लिखे नौजवान बगैर डायरेक्शन के मायूसी के आलम मे अपनी जिन्दगी बिता रहे हैं। अगर कही से सरकार की एक पोस्ट निकलती है तो इन्टरव्यू के मौके पर एक हजार लोग इकट्ठा हो जाते है, और सेलेक्शन करने वालों के लिए मुश्किल हो जाती है कि वे किसको लें और किसको न लें। मां-बाप की जो कमाई है वह बच्चों की पढ़ाई पर सर्फ होती है और उसके बाद मुलाजमत पाने के लिए इन्टरव्यू देने के लिये शिमला, दिल्ली या चण्डीगढ़ जाते हैं उसपर भी पैसा बर्बाद करना पड़ता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि इस तरफ पूरा ध्यान दे।

हमने अपने मेनिफेस्टो में लिखा है कि हम पढे-लिखे नौजवानों को अनएम्पलायमेन्ट एलाउन्स देंगे लेकिन सरकार कहती है कि हमारे साधन ऐसे नही है कि हम वह दे सकें बल्कि हमारी योजनायें ऐसी हैं जिनसे एम्पलायमेन्ट मिलेगा। जैसा कि इस बार बजट मे लिखा गया है कि 5 सौ करोड़ रुपये डेरी फार्मिंग पर खर्च किये जायेंगे और उससे 4 मिलियन लोगों के लिए एम्पलायमेन्ट पैदा होगा लेकिन मैं अभी तक कोई ऐसी योजना नही देख सका जिससे 40 लाख पढ़े लिखे नौजवानो को रोजगार मिल सके। इसी प्रकार से कहा जाता है ग्रामो मे स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज़ खोल कर बेकार लोगो को रोजगार दिया जायेगा लेकिन गावों मे तब तक कोई इण्डस्ट्री बनने वाली नही है जब तक कि वहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर पैदा नही किया जायेगा, जब तक कि वहा पर सडके नही बनेंगी, जब तक कि वहा पर शेड्स बनाने के लिए प्लाट्स नही खरीदे जायेंगे जहा पर कारखाना लग सके या जब तक कि वहा पर बिजली नही जायेगी। तब तक न कोई छोटा या बड़ा कारखाना वहा पर लगाया जा सकेगा। इसलिए सरकार अपनी डेवलपमेन्ट योजनाओं को गांवों मे इस तरीके से ले जाने की कोशिश करे कि उसके ठोस नतीजे निकल सकें।

F। इसमे कोई शक नही है कि बेरोजगारी का जो मसला है वह हल होगा लेकिन अनएम्पलायमेन्ट एलांउस देने की जहां तक बात है, जिसके लिए हमने वायदा किया है वह हमे जरूर देना चाहिए। सरकार कहती है कि इसके लिये हमारे पास पैसा नही है।

[श्री दुर्गा चन्द]

अगर पैसा नहीं है तो मैं समझता हूं इसके लिए हम लोगों पर टैक्स लगायें और उस पैसे से बेरोजगार लोगों को एलाउन्स दिया जाये। मैं समझता हूं शायद ही कोई ऐसा घर इस देश में हो जहां पर अन एम्लायमेन्ट की समस्या न हो। अगर आप इस तरह का टैक्स लगाते हैं तो उससे काफी धन आ सकता है और उससे अनएम्पलायमेन्ट एलाउन्स दिया जा सकता है।

इसके अलावा और भी कई मसले हैं जिनकी तरफ आप का ध्यान देना चाहिए अभी सरकारी नोकरी के लिए 25 या 27 साल की उम्र रखी गई है। जब लड़का यह देखता है कि उस की उम्र 25 साल हो गई है, या 27 साल हो गई है और अब आगे उस को रोजगार नहीं मिलेगा, उसके मन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारे ऐसे पढ़े-लिखे नौजवान दिशाहीन होकर न जाने क्या-क्या करने को तैयार हो जाते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि स्टेट गवर्नमेंन्ट्स को हिदायत दी जानी चाहिये कि 25 साल या 27 साल उम्र की जो लिमिट है, उस को रिलैक्स कर देना चाहिये और इस तरह से रिलैक्स करना चाहिये कि जो लड़का एज की लिमिट के अन्दर अपना नाम एन्टर कर। देगा, जब तक उस को मुलाजमत नहीं मिलेगी, तब तक उसका नाम एम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज में स्टैण्ड करेगा। इस तरह से जो मायूसी का माहौल बन गया है, उसको रोका जा सकता है, वरना ये पांच साल इसी तरह से बीत जायेंगे और हम जनता के पास जाने के हरगिज काबिल नहीं रहेंगे।

जहां तक सोशल सिक्योरिटी का ताल्लुक है—ओल्ड-एज पेंशन कहीं मिलती है, कहीं नहीं मिलती है। आज भी हजारों बूढ़े, डिस-एबल्ड आदमी हैं, जिन को पेन्शन नहीं मिल रही है। सरकार को चाहिये कि अपने सैन्ट्रल बजट में से राज्य सरकारों को सहयोग दें, उनकी रकम को सब्सीडाइज करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बूढ़ों और डिसएबल्ड को कवर किया जा सके और उनको कुछ मदद मिल सके।

जहां तक कम्पलसरी एजूकेशन की बात है—हमारी सरकार एडल्ट्स को तालीम देने के लिये 200 करोड़ रुपये का प्रावधान कर रही है। मैं इसका विरोधी नहीं हूं उनको भी जरूर तालीम दी जानी चाहिये, लेकिन आपने जो स्कूल खोले हुए हैं, जहां आपने प्राइमरी तक अनिवार्य तालीम की व्यवस्था की हैं, उन इंस्टीचूशन्ज को इस काबिल बनाइए कि ज्यादा से ज्यादा लड़के उन स्कूलों में आयें, बजाय इसके कि आप फिजूल की स्कीमों में रुपया जाया करें। अगर आप इस तरह से रुपया खर्च करते रहे तो इसका कुछ भी परिणाम नहीं निकलेगा। मैं चाहता हूं कि आप अन एम्पलायमेन्ट के मसले पर सीरियसली ध्यान दें। यदि इस पर तुरन्त ध्यान नहीं दिया गया तो यह बहुत विकराल रूप धारण कर लेगा और फिर कहीं ऐसा न हो कि सारा राष्ट्र इस में भस्म हो जाय।

SHRI EDUARDO FALEIRO (Mormugao): The House has to vehemently and warmly welcome and support this Bill. It is not also as if this were the first Bill to be brought, the first legislation to be made in any part of the world concerning the right to work. Similar constitution (provisions are there in so many constitutions of the world, not merely in the socialist countries but also in countries of the western world such as France and in other countries such as Japan. I do feel however, that this is not by itself a solution for the problem. It is not as if at this stage we do not have any constitutional provisions. Article 41 of the Constitution is there. The Directive Principles are there. The 42nd amendment puts the Directive Principle above the Fundamental Rights; it has subordinated the Fundamental Rights to Directive Principles.

Inspite of the constitutional provisions, however, the problem has not been solved. In fact it is far from solution. To my mind mere legislation, therefore, will not solve this great, gigantic and tragic problem. Something more is necessary, a new and courageous look at the socio-economic structure of this country.

Much is being said against the public sector, much in justification can be said against the public sector when it concerns efficiency and profitability and other points. But on the limited point of providing employment it runs far in front of the private sector. Figures do show that unemployment has grown tremendously. Just to mention some statistics to show how unemployment has increased between 1970 and March 1977, I shall quote the figures in the live registers of the employment exchanges, it has increased from 40.69 lakhs to 102.38 lakhs. Most surprisingly employment in the private sector has decreased from 68.13 lakhs in 1966-67 to 68.04 lakhs in 1975-76. My submission is that support must be given to the public sector as far as possible; key industries must be brought within the purview of the public sector in order to provide fresh avenues of promotion and the strong hold which the private sector has in days of economy, where about 95 per cent of industries and possibility of employment are away from the public undertakings, this strong hold must be broken.

The second point I am trying to make is this that the shift from industrialisation to rural development is a shift to be welcomed and it must be encouraged. But here again let us not merely concentrate on economic development in the rural sector. Economic development, whether in the rural sector or in any other sector by itself is no solution. We do know that the most developed and affluent countries in the world—Japan, United States, etc. have a very serious problem—though far less acute than our problem, but a very serious unemployment problem. Socialist countries, though poorer and less affluent have no unemployment problem at all. What I feel is when we concentrate from industrialisation to the agrarian sector, the most important is not the question of rate of growth or increasing pace of growth but much more important is the question of re-distribution of ownership which has been brought about by the land reform legislation. Here again we do find that legislation has not been in shortage, but the difficulty has been in implementation. In regard to land tenure—tenancy rights to the tenants and to the actual workers—though the legislation is there, implementation lags far behind. The rural rich are able to effectively defeat to a very large extent this legislation, not only of land tenancy but other aspects of land reforms also i.e. land ceiling, etc. We know in this country there has been such a great concentration of rural land in the hands of a few but inspite of land reform legislation there is yet concentration in the hands of a few. Loopholes in legislation have been found and solution to redistribution of land has not been achieved.

I will mention one or two more points. One is that the big business interests have sometimes contributed on the one hand to economic growth but on the other hand have contributed to unemployment. I have been raising in this House the very genuine problem of fishermen in the Western Coast. They are on the verge of starvation. They are about 10 lakhs. Private big businessmen and business families have gone for fishing trawlers. With the fishing trawlers they may be able to obtain a much larger catch but they have completely destroyed or reduced to absolute servitude these fishermen by bringing about all this mechanisation, in the name of what you may call economic development. About 10 lakhs of people are on the verge of starvation and have been rendered unemployed.

[Shri Eduardo Faleiro]

I would therefore like to say that legislation is very good but it does not solve all the problems. Pronouncement of the highest in the land will not solve any problem. We remember very vividly that in March 1977 hon. Prime Minister said that the unemployment problem in this country would be solved within ten years. What a difference from pronouncement to practice! The actual reality is that this year there has been an increase of 12 per cent in the rate of unemployment as compared to the previous year.

While commending this Bill to the support of this House I would like to point out that mere legislation will not do. There must be political will and political courage to destroy those who have a vested interest in a situation which has led to the present poverty and unemployment in this country.

श्री शरद यादव (जबलपुर) : मैं शास्त्री जी के इस पेंडिंग बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। स बहस मे बहुत ही कम लोग अभी तक बोले है। फिर से इस देश के सामने एक मसला जो बहुत गम्भीर है इस बहस ने लाकर खडा कर दिया है। आपातकाल के खिलाफ भारत की 62 करोड जनता ने लडाई लडी और अपनी आजादी को बचाया। वह एक जंग थी जो लडी गयी थी। उस जंग का नतीजा यह निकला कि हमारी सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार बनी। 31 साल हमारे जनतंत्र को स्थापित हुए हो गए हैं। कांग्रेस के तीस साल और जनता पार्टी का सवा साल भी इसमें शामिल करके मैं कह रहा हूं कि 31 साल हो गए हैं। 31 बरस तक जनतंत्र का नाटक, जम्हूरियत का नाटक देश में चलता रहा है। अगर यह नाटक इसी तरह से खड़ा रहा और इसी तरह से चलता रहा तो मैं नही समझता हूं कि यह जम्हूरियत बच पाएगी। इस वास्ते आपको फैसला करना पड़ेगा इस के बारे मे। जिस तरह की स्थिति इस वक्त देश में चल रही है यह चलती नहीं रह सकती है। अगर ऐसे ही रहा तो पीछे देश को ले जाना होगा यानी इन्दिरा गांधी का रास्ता अपनाना होगा और यदि आप चाहते हैं कि जनतंत्र देश में कायम रहे; जम्हूरियत देश में कायम रहे तो इस देश की गरीबी का जो सब से बड़ा मसला है जिस में से बेरोजगारी निकलती है उस बेरोजगारी और गरीबी के मसले को हम को हल करना होगा, अविलम्ब हल करना होगा। अगर ऐसा न किया गया तो जो बेरोजगारी का सम् है यह जम्हूरियत के नाटक को जरूर ले डूबेगा। लोक सभा में बरस डेढ़ बरस से मैं सुनता आ रहा हूं नकली कौवों को। ऐसा ऐहसास नहीं होता है कि हम कुछ वाकई करने वाले हैं या कर रहे हैं। बकवास का यहां सब से लम्बा चौड़ा सिलसिला चलता है। उस में मैं अपने को भी शरीक करता हू। असली कौवे या नकली हंस जब कभी मौका मिलता है तो यहा लोक सभा मे बहुत ला एण्ड आर्डर की बात करते हैं, कहते है कि यह मसला बहुत गम्भीर रूप धारण करता जा रहा है। लोक सभा मे बहुत कुछ कहा जाता है कि बडी अव्यवस्था है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या पिछले पाच हजार साल से यह अव्यवस्था नही चलती आ रही है? व्यवस्था आप स्थापित करना चाहते हैं तो कितने लोगो के बचाव के लिए करना चाहते हैं। देश के 95 प्रतिशत लोग ला एण्ड आर्डर मे नही है, उनका इससे कोई वास्ता ही नही है। वे तो सिपाही को देखकर, थाने को देखकर पुलिस की चौकी तक से डरते हैं। जो स्थिति चल रही है, जिस तरह के हालात पैदा हो गए हैं उनके चलते ला एण्ड आर्डर दुरुस्त अगर आप समझते हैं हो जाएगा तो यह होने वाला नहीं है। एक करोड़ लोक सभा आप कायम कर लो, यह ला एण्ड आर्डर का सवाल बढ़ेगा। इस वास्ते आपको बुनियादी समस्या की तरफ ध्यान देना होगा।

बेरोजगार विद्यार्थियों में जो बेचैनी है, नवयुवकों में जो बेचैनी है उसकी बुनियाद में आपको जाना होगा, इसके चारों ओर से सड़कें तोड़ेंगे, सिर तोड़ेंगे । बुनियादी सवाल गणित का है । गणित में आप जानते हैं कि दो और दो चार होते हैं । उसी प्रकार से मैं यह साबित कर सकता हूं कि जिस फैकल्टी में बेरोजगारी ग्यारह बारह बरस तक रह जाती है उस फैकल्टी के विद्यार्थियों में, उन के मन में अव्यवस्था के लिए आकर्षण ज्यादा बढ़ जाता है, वे पूरी तरह से अव्यवस्था लाने पर उतारू हो जाते हैं । इससे क्या साबित होता है ? यह साबित होता है कि उस फैकल्टी में बेरोजगारी को दूर करने की तरफ आप ध्यान दें । आप ऊपर से लीपा पोती करना चाहते हैं । इससे काम नहीं चलेगा ।

ला एण्ड आर्डर में जो गड़बड़ी पैदा हुई है उसको ले कर हमारे कांग्रेसी मित्र बहुत हंसते हैं । आप भी आ जाओगे तो आपके सामने भी यह समस्या रहेगी । आप बहुत खुश हैं कि जनता पार्टी इस समस्या को सम्भाल नहीं पा रही है । लेकिन आप भी इतिहास के कदमों को महसूस नहीं कर रहे हैं । आप भी यह महसूस नहीं कर रहे हैं कि बीस या पचास लोग सोचें कि हिन्दुस्तान को चला लेंगे तो वह चलने वाला नहीं है । जनता दिन प्रति दिन ताकतवर होती जा रही है । उसको एहसास होना चाहिये कि उसकी जो मूल समस्या है उस पर कुठाराघात किया जा रहा है । अगर आप चाहते हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरे दूसरी चीजें सुधरें तो जहां से कानून व्यवस्था बिगड़ती है, जो उसका सब से बड़ा स्रोत है, जहां से यह पिंडारा फूटता है, जहां से गंगोत्री निकलती है यानी कंगाली से यह बेरोजगारी निकलती है, यदि उसको बन्द कर करने का, उसको समाप्त करने का काम हम नहीं करते हैं तो यह बढ़ती ही जाएगी । बेरोजगारी का जो भत्ता है इसमें वह मामला निहित है । हमने वायदा भी किया है, घोषणापत्र में इसको स्थान भी दिया है और कहा है कि बेरोजगारी को हम दूर करेंगे । अजीब तर्क आज इसके बारे में दिए जा रहे हैं । कोई कहता है कि यह अव्यावहारिक चीज है । हमारी सरकार कहती है कि यह तो एक भीख है । यदि मुझे पता होता कि यह भीख है तो मैं राजनीति नहीं करता । दस बरस से मैं यह लड़ाई लड़ता आ रहा हूं । लोक सभा में जनता पार्टी में कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जो मुझसे ज्यादा सजा भुगते हुए हो । 6 वर्ष सजा भुगती है मीसा में । मैं तो इंजीनियर आदमी था, मैं क्यों यहां आता बकवास करने । मुझे पता होता कि यहां वायदे के प्रति इतना ज्यादा लगाव कतई नहीं है तो इस नाटक में शरीक नहीं होता । और जब लोक सभा बढ़ायी गयी थी तो मैंने इस्तीफ़ा दे दिया था । मैं सोचता हूं यदि यह लोक सभा इसी तरह रही तो मेरे जैसा आदमी शायद ही इस लोक सभा में रहे । मैं बहुत दुख से खड़ा हुआ हूं । यदि यह सदन हमारे जैसे लोगों के काम का नहीं होगा तो हमारे जैसे लोग यहां नहीं रहेंगे, बल्कि इसको मारने के लिए खेत खलिहान में जायेंगे । इसलिये आप को दो रास्तों में से एक चुनना है । बेरोजगारी का भत्ता भीख नहीं, यह दबाव है, और ऐसा दबाव है जो आपको मजबूर करेगा अच्छी योजनायें बनाने के लिए । आपको मजबूर करेगा 15 बड़े पूंजीपतियों पर जो इन्कम टैक्स का 17 करोड़ 11 लाख रुपया बाकी है उस को वसूल करने के लिए । यह करोड़ों रुपये की जो फिजूलखर्ची है और यहां एयरकंडीशन सदन में बैठ कर लोक सभा चलती है, इसको आपको बन्द करना पड़ेगा । ऐयाशियां बन्द

[श्री शरद यादव]

करने के लिए आपको मजबूर होना पड़ेगा, और यह 5 स्टार और तीन स्टार होटल बनाने की योजनाओं को जो आप दिल्ली में या और शहरों में बना रहे हैं इन बड़ी बड़ी ऐयाशियों को बन्द करने के लिये आपको मजबूर होना पडेगा। आप कहते हैं कि पैसा नहीं निलकता है। तो मैं बताता हूं कि कहां से निकल सकता है। मद्य निषेध से 450 करोड रुपये का नुकसान होगा, मेरे जैसा आदमी शराब के बहुत खिलाफ हैं, मैं जानता हूं कि इसका बन्द होना जरूरी है। लेकिन सब से बडी बात इस देश की भूख है। जिस देश का तन 5 हजार साल से पिघलता हो, जिस पेट में खाने की भूख का ऐसा आलम हो कि लोगों को भरपेट खाना न मिलता हो, खाने से क्या बनता है किसी भी डाक्टर से पूछो। ऐल्कोहल बनता है जिससे यह तन चलता है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय): शराब पर हम लोग चल रहे हैं? तो शराब बन्द क्या होगी?

श्री शरद यादव: जी हां, उसी से शरीर चलता है। जो भी आप खाते है उसका ऐल्कोहल बनता है जिससे आपकी मशीन चलती है। अब मशीन के आपके जीवन का ऐल्कोहल ही नहीं बन रहा है तब ऊपर के ऐल्कोहल की इतनी चिन्ता मत करो। पहले पेट में ऐल्कोहल बने इसका इंतजाम तो करो। पहले देश का सब से जरूरी मामला है बेरोजगारी। और वह बेरोजगारी जो है, आपके जो सरकारी आंकड़ों में हो, उसी पर दे दो। यह तो आपने वायदा किया है। और अगर वायदे से मुकरोगे तो मुश्किल पड़ेगी। क्योंकि जैसा मैंने कहा दिल्ली अब केन्द्र नहीं है सत्ता का। यह तो खेत खलिहानों की तरफ खसकेगा। इसको चलाने में भी हमारा उतना ही मकसद है। यानी जनतंत्र रोटी के सवाल को हल करे तभी मजबूत बनेगा, यह मेरा कहना है। तो दो ही रास्ते हमारे सामने हैं। फिर यह मौका आया है, और शास्त्री जी से मेरा कहना हैं इनका जो बिल यहां इस वक्त विचाराधीन है इसको सदन को मान लेना चाहिये। फिर हमको संकल्प कर लेना चाहिये हम पैसा लायेंगे किसी तरह से भी। और यदि अनिवार्यत: इसको ले लेंगे तो हमारी बुद्धि की खिड़कियां खुल जायेंगी। फिर यह अय्याशी भी हमको खटकेगी। जो लोगो से वायदा किया है, जो कानून बना दिया है, वह देना पड़ेगा।

सभापति जी, मेरा कहना यह है कि इसको स्वीकार करने का एक रास्ता आया है, यदि चाहे तो इस बिल को स्वीकार करे और उस रास्ते को चुन सकते हैं। साढ़े 4 करोड़ रुपये लगेगा, यह कोई बड़ी रकम नहीं हैं। हिन्दुस्तान के अफसरशाह और राजनीतिज्ञ जो देश की अर्थव्यवस्था चलाते हैं, अय्याशी मे करोड़ों रुपया खराब कर देते हैं, उसको बचाना चाहिये।

मेरा यही विनम्र निवेदन है कि कोई रास्ता चुनें ताकि इस समस्या का हल हो सके।

SHRI MALLIKARJUN (Medak): The Constitution (Amendment) Bill in the name of Mr. Shastri is of vital importance to be considered by this august House. The fact of reality as such, the growing unemployment and the restlessness among the educated graduates, are of prime importance. In the country all over, graduates in medicine, engineering and humanities are now in the list of the unemployed. While the students study, their parents with great difficulty support them giving them money for the college and hostel fees, but when they secure the degrees, they become unemployed. So, whose responsibility is it to see that they are employed? It is definitely the responsibility of the Government. The Government must come forward, either the Central or the State Government, with a policy wheheby they can employ all these unemployed graduates in various sectors of life.

Mr. Channa Reddy who became the Chief Minister has enacted a legislation in Andhra Pradesh for giving stipend to all the scheduled castes and scheduled tribes unemployed graduates, but they have to go and take some training in some industrial units. So, what I suggest to the Government of India is that they should evolve a plan. There are hundreds of public sector units where the technocrats, the small diploma-holders and other people can be immediately taken for training, and they can be given some aid till they get proper employment. This is how the Government has to come forward.

Unfortunately, the cost of living has gone up as we are all observing because of the failure of the Janata Government. The price rise could not be checked, and these unemployed graduates have again to depend upon their parents, and it is becoming a suicidal situation. Therefore, because of the failure of the Janata Government, because of the escalation in prices, because of the other factors involved in our daily livelihood, things have taken a different shape. I do not blame anyone. It is the joint responsibility of the Central and the State Governments to see that these unemployed graduates are immediately, somehow or other, adjusted in the public sector units or private Sector units or given some other employment.

As far as the activities of the students are concerned, of course it is the responsibility of every one of us also to see that things take a constructive shape and not a destructive shape. Therefore, while fully supporting this Constitution (Amendment) Bill and pointing out the failure of the Janata Government, I say that instead of spending huge amounts on commissions and things like that. let them use it for the reconstruction of the nation. So also, old age pension and other things are the responsibility of the Government. If we really believe in democracy, if we really believe in human life as it exists, certain minimum amenities have to be provided by those who are at the helm of affairs. I make a strong plea to the Government of India to come forward with a perfect plan in order at least to adjust all the unemployed graduates in some training for the time being. Give them some stipend so that they can settle in their life. Therefore, I thoroughly suport this Constitution (Amendment) Bill. I hope the Government of India will take cognizance of this Constitution (Amendment) Bill and take proper, constructive steps in order to rebuild the nation or in order to usher in the progress and prosperity of the nation.

श्री रामनरेश कुशवाहा (सलेमपुर) : सभापति महोदय, मैं शास्त्री जी का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने यह संविधान (संशोधन) विधेयक सदन के सामने रखा है। मैं श्री साठे को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहादुरी के साथ यह कुबूल किया कि हमारी गवर्नमेंट को पूंजीशाही और नौकरशाही चला रही थी। उन्होंने हमें भी कहा कि आप भी गवर्नमेंट वही चला रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगर हम झख मार रहे थे, तो क्या आप भी झख मारेंगे। मैं कानून मंत्री से कहना चाहता हूं कि हमको झख नहीं मारनी चाहिये।

मैं कहना चाहता हूं कि यह संशोधन जनता पार्टी के घोषणापत्र और उसके कार्यक्रमों की आत्मा है। अगर मंत्री महोदय यह संविधान संशोधन मान लेते हैं, तो वह एक ऐसा क्रांतिकारी काम करेंगे, जिससे जनता पार्टी के घोषणापत्र की एक एक बात लागू हो जाएगी। जब हमने सम्पत्ति के अधिकार को छीनने का वादा किया है, तो उसके साथ काम के अधिकार को मौलिक अधिकारों में जोड़ना अपने आप आ जाता है।

[श्री राम नरेश कुशवाहा]

हमारे प्रधान मंत्री ने कहा था कि अगर बेकारी का भत्ता दिया जायेगा, तो वह खैरात बांटना होगा। मैं समझता हूं कि वह खैरात बांटना नहीं है, बल्कि वह इस बात का संकेत है कि हम अपने देश के बेकारों की जिम्मेदारी लेते हैं। हम इस देश में तब तक बेकारी को दूर नहीं कर सकते, जब तक हम "एक व्यक्ति एक पेशे" की नीति को नहीं अपनाते। इस प्रस्ताव को मान लेने का मतलब होता है "एक व्यक्ति एक पेशे" की नीति को अपनाना। इस नीति को अपनाये बिना हमारे देश में आर्थिक विषमता समाप्त नहीं होने वाली है।

इस देश में थोड़े से लोग हैं, जिनका अधिकार खेती, नौकरी और व्यापार तीनों पर है। आज नौकरशाही क्या करती है? सरकारी कर्मचारी ट्रांसफर के चक्कर में रहते हैं, क्योंकि वे अपनी खेती के पास रहना चाहते हैं। परिणाम यह है कि न तो वे खेती कर पा रहे हैं और न ही ठीक प्रकार से नौकरी कर पा रहे हैं। कुछ लोग इसलिए भ्रष्ट हो गये हैं कि उनका रिश्ता व्यापार से है और वे व्यापार को बढ़ाने के लिये हर जायज नाजायज काम करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन कि "एक व्यक्ति एक पेशा" की नीति को मान लेने से सरकार हर एक व्यक्ति को काम दे सकेगी। तब जो भी काम करेगा, वह पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ करेगा, और काम भी अच्छी तरह से होगा।

जब सरकार ने सम्पत्ति का अधिकार छीनने का वायदा किया है, तो उसमें यह काम करने का क्रम होना चाहिए। हमारे देश में थोड़े से लोगों के पास खेती, नौकरी और व्यापार ये तीनों काम होने के कारण ही सारे रोग पैदा होते हैं। जब नौकरी का मामला आता है, तब पब्लिक स्कूल सामने आ जाते हैं, अर्थात् जो पब्लिक स्कूल में पढ़ेगा, वही बढ़िया नौकरी पायेगा। वहां पर एकाधिकार का सवाल खड़ा हो जाता है। काले पैसे को सफेद बनाने के लिए, बड़े-बड़े सेठ और बड़े बड़े नौकरशाह खेत खरीदते हैं और चाहे उसमें कुछ न पैदा हो, लेकिन अधिक से अधिक पैदावार दिखला कर अपना काला पैसा सफेद कर लेते हैं। इन सारे रोगों को दूर करने के लिए यह जरूरी है कि आप काम का अधिकार मौलिक अधिकार में जोड़ें। अगर यह नहीं जोड़ेंगे तो यह निहित स्वार्थ एक भी काम आपको करने नहीं देगा और अगर आप इसको जोड़ लेते हैं तो आप मजबूर हो जाएंगे नया कदम बढ़ाने के लिए जिससे इस देश में पूंजीशाही समाप्त हो, सब को काम मिले और गरीबी मिटे। क्योंकि जब आप गरीबी मिटाने के लिए चलेंगे, काम देने के लिए चलेंगे तो रोड़े आएंगे और रोड़े इसीलिए आएंगे कि खेती, नौकरी और व्यापार एक ही हाथ में है।

यही बात मैंने आरक्षण के प्रश्न पर आपसे कही थी और मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर आप करना चाहें तो निहित स्वार्थ नहीं करने देगा क्योंकि वह सब पर हावी है। वह अपनी जाति के भी गरीब लोगों को नहीं देना चाहता है। वह अपनी जाति के लोगों को बेवकूफ बनाता है जाति का नारा दे कर और केवल वोट लेने के लिए जाति का नारा देता है वरना और कोई सुविधा धनी आदमी अपनी जाति के लोगों को भी नहीं देना चाहता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आरक्षण अगर आर्थिक आधार पर भी लोग कहते हैं तो वह करिए, लेकिन गरीबों को मत कीजिए, धनियों को कीजिए क्योंकि वह अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यकों का आरक्षण होना चाहिए, बहुसंख्यकों का नहीं। जिनके पास साढ़े बारह एकड़ से ज्यादा खेती है, जो पांच सौ रुपया महीना पाते हैं या जो इनकम टैक्स देने वाले हैं इनकी जनसंख्या जितनी भी हो, उनके लिए

पाच] परसेंट आरक्षण कर दीजिए और एक पेशे की नीति अपना लीजिए, इस देश की गरीबी और बेकारी दोनों मिट जाएगी। लेकिन मैं फिर दोहराना चाहता हूं साठे साहब के शब्दों को कि आप झख मारना बन्द कीजिए, झख मत मारिए, वरना आपका काम नहीं चलेगा। मैं आपको बताता हूं कि यही एक बेकारी का मुद्दा है कि जो आपको आसमान में भी ले जा सकता है और गड्ढे में फेंक कर आपके हाथ पैर भी चूर-चूर कर सकता है। इसलिए आप इस संशोधन को मानिए, इसको पास करवाइए। एक पेशे की नीति अपनाइए। धनियों का आरक्षण कीजिए। गरीबों के लिए 90 प्रतिशत छोड़ दीजिए। इससे कल्याण हो जाएगा, सबको काम मिल जाएगा और आपका पूरा घोषणापत्र कार्यान्वित हो जाएगा।

चौधरी बलबीर सिंह : सभापति महोदय, मैं भी आपको सलाम करता हूं।

सभापति महोदय : मैं लिस्ट के हिसाब से चल रहा हूं। मेरे लिए कठिन हो जाएगा कोई भी और नाम लेना।

SHRI PURNANARAYAN SINHA (Tezpur): Sir, I also want to speak on this.

MR. CHAIRMAN: There are a number of hon. Members who want to speak on this. What I am doing is this. I am going to call them in the order in which they have given their names. It will be very difficult for me to omit somebody who has given his name earlier, and call some other Members to speak. 5 बजकर 5 मिनट तक यह चलेगा।

श्री शांति भूषण : मेरे वक्त में से दे दीजिए।

श्री कंवर लाल गुप्त : आप सवा पांच] बजे तक इसको चलने दीजिए। उसके बाद मंत्री जी बोल लेंगे। पांच मिनट पहले वह इसको खत्म कर देंगे जिसमें दूसरे सदस्य का विधेयक आ सके।

सभापति महोदय : साढ़े पांच बजे से चार मिनट पहले खत्म करना पड़ेगा।... (व्यवधान)... शास्त्री जी को भी समय मिलेगा।

श्री ब्रज भूषण तिवारी (खलीलाबाद) : सभापति महोदय, यह शास्त्री जी का जो संविधान संशोधन विधेयक है वह कई अर्थों में बहुत ही महत्वपूर्ण है और जैसा कि यहां के वक्ताओं ने कहा है एक बहुत ही मौलिक प्रश्न आज सदन में चर्चा के लिए उपस्थित है। यह विषय ऐसा है कि इसके पीछे राष्ट्रीय आन्दोलन का पूरा इतिहास रहा है, इधर आजादी के बाद लगातार समाजवादी आन्दोलन का पूरा इतिहास रहा है और इधर जो श्रीमती इंदिरा गांधी की पार्टी का आपातकाल था, उसके बाद जो देश में समग्र क्रांति या जो एक बड़ी क्रांति हुई है उसके आन्दोलन का यह आधार रहा है। माननीय राजनारायण जी बैठे हुए हैं, वह जानते हैं, 6 अप्रैल को यहां पर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन था, उसमें जो सबसे प्रमुख मांग थी वह यही थी कि लोगों के रोजगार को मौलिक अधिकार माना जाए और बेरोजगारी का भत्ता दिया जाए। हमारे जनता पार्टी के घोषणा-पत्र में भी खास तौर पर हमने इस बात को कहा है। कारण यह है कि हमारे संविधान में जो हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपुल्स आफ स्टेट पालिसी है उसमें साफ तौर पर दिया गया है कि हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी। हमारा अर्थ तन्त्र, हमारी आर्थिक व्यवस्था यदि ऐसी हो पूंजी चन्द लोगों के हाथों में सिमट जाए, आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण चन्द लोगों में हो जाए और उसके कारण सामाजिक तथा आर्थिक विषमता बढ़े तो उसके लिए सरकार को हस्तक्षेप करने एवं नियम कानून बनाने का अधिकार

[श्री ब्रज भूषण तिवारी]

है। संविधान निर्माताओं ने सम्पत्ति को मौलिक अधिकारों में जोड़ा। आजादी को मौलिक अधिकारों में जोड़ा लेकिन यह बहुत जरूरी था कि फीडम फंडामेंटल राइट्स मे हो परन्तु सम्पत्ति को मौलिक अधिकार मे जोड़ना ठीक नहीं था। सम्पत्ति को मौलिक अधिकार में जोड़ने से, जिनके हाथ मे सम्पत्ति है उन्ही के अधिकारों और उन्ही के हितो की रक्षा होती है। वास्तव मे सम्पत्ति अर्जित करने का अधिकार ही मौलिक अधिकार होना चाहिए। इस लिए हम सदैव इस बात के लिए लड़े है। आज देश में जो व्यवस्था आई है, आज जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले लोगों के हाथ में सत्ता आई है तब हमारा यह सर्वप्रथम कर्त्तव्य होना चाहिए कि हम इस अधिकार को मौलिक अधिकार मानें। इसके साथ-साथ जो हमारी वर्तमान आर्थिक स्थिति है जो कि धरोहर के रूप में हमको मिली है उसको हमे खत्म करना पड़ेगा। आज साठे साहब बहुत बोकल हैं लेकिन उन्होंने हमारी सारी आजादी छीन ली थी, सारे देश को उन्होंने एक कारागार में बदल दिया था। उन्होंने नारा लगाया कि हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। अच्छा किया। आपने पूरे संविधान को बदल डाला। बीस सूत्रीय कार्यक्रम चलाया लेकिन अगर आपने काम को मौलिक अधिकार बना दिया होता तो आपके सारे गुनाह माफ किए जा सकते थे परन्तु आप यह नहीं कर सके क्योंकि आप पूंजीवादी ताकतों के घेरे में घिरे हुए थे जिसने आपको देश पर तानाशाही लादने के लिए मजबूर किया।

इस समस्या के समाधान के लिए आपको लोगों को काम देना होगा और इसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी। संविधान में अधिकार के रूप में इसको जोड़ा जाना चाहिए। साथ ही साथ बेरोजगारी भत्ता देने का सवाल भी महत्वपूर्ण है। भिक्षावृत्ति कह कर इसके महत्व को कम नही किया जा सकता। साथ ही साथ जो तीसरा प्रावधान हैं कि जो बूढ़े और अपाहिज हैं जिनके पास आय का कोई साधन नहीं, जिनका अपना कोई बेटा या परिवार नहीं, जिनके पास अपनी कोई सम्पत्ति नहीं, जो कि घुल-घुल कर मर जाते हैं, उनके लिए प्रबन्ध होना चाहिए। इस देश में गरीबी की सीमा रेखा स जो नीचे है उनकी संख्या 40 प्रतिशत से भी ऊपर है। आज तक इस देश की आर्थिक व्यवस्था ने दो वर्ग पैदा किए है—एक वर्ग ऐसा है जो कि हमेशा उपभोक्ता रहा है, जो कि अपने उपभोग के लिए और अपने अधिकारो के लिए तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमेशा नये-नये रूप धारण करता रहा है और दूसरी ओर दूसरा वर्ग है जो कि हमेशा से आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से उपेक्षित रहा है। इस सरकार की सफलता की यही कसौटी है कि गरीबी की सीमा रेखा से नीचे के लोगों में सम्पन्नता लाये। यह तभी सम्भव होगा जब आप इस देश के गरीब आम आदमी को रोजगार का अधिकार देंगे और यह भी तब सम्भव होगा जब आप इस देश की पूरी आर्थिक व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन करेंगे। उद्योग नीति के बारे में आपकी दृष्टि क्या हो, बड़े उद्योगों, छोटी मशीनों, हस्तकर्घा, हाथ से काम करने वालों, इस देश में जमीन की जो व्यवस्था है उसको दृष्टि में रखते हुए देशवासियों का जीवन अच्छा बनाने के लिए आपको अपनी नीतियां निर्धारित करनी पड़ेंगी—इसी दृष्टि से मैं इस बिल का तहेदिल से समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सर्वसम्मति से आप इसको पास करेंगे।

17.00 hrs.

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर): सभापति जी, सिद्धान्त रूप से मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और मैं ऐसा मानता हूं कि सम्भवत: इस देश में शायद ही कोई ऐसा

व्यक्ति हो, जो इसका विरोधी हो। हमें यह मानना पड़ेगा कि हमारे संविधान के डायरैक्टिव प्रिंसिपल्स मे, जो सन 1950 में बना था, इसका प्रावधान होने के बावजूद भी जितना काम उस में होना चाहिये था, उतना नही हुआ। इस सम्बन्ध मे जस्टिस खन्ना ने कहा है—मैं उसको कोट करना चाहता हूं। उन्होने पंजाबी यूनिवर्सिटी के 15वें वार्षिक कन्वोकेशन में भाषण देते हुए कहा था—

"Addressing the 15th Annual Convocation of Punjabi University, Mr Justice H. R. Khanna said that the commitments relating to right to work under articles 39 and 41 had in the face of mounting unemployment a strange ring of irony. These articles, he said, posed a question for all those who had been in charge of affairs of the State as to how far they had carried out the mandate. He pleaded for solid hard work for carrying out the constitutional mandate to secure right to work."

यह ठीक है कि पहले के लोगों ने इस काम को नहीं किया, लेकिन अब सवाल यह है कि पिछले 15 महीनों में जनता पार्टी को जितने जोर-शोर से इस काम को करना चाहिये था—उसने किया है या नहीं ? हर साल बेरोजगार लोगों की संख्या जिस तेजी से बढ़ती जा रही थी, इस साल भी उतनी ही मात्रा में बढ़ी है। यह ठीक है कि यह जनता पार्टी की सरकार का पहला साल था। जनता पार्टी ने कई योजनायें बनाई हैं और हमें यह आशा करनी चाहिये कि वे योजनायें यदि ठीक से चलें, तो उनके बहुत अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। आप को विदित है कि हम लोगों ने गांव और गांव की खेती को पहली प्रायोरिटी दी है। वहां बिजली, पानी, काटेज इण्डस्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स, सड़कें इन सब चीजों की तरफ़ सबसे पहले ध्यान दिया है। इनका असर शायद थोड़े दिनों के बाद दिखलाई दे, लेकिन इन पर शीघ्र से शीघ्र कार्यवाही करने की जरूरत है।

आज जिस गति से हम चल रहे हैं, वह गति ऐसी है जो पहले जैसी सरकार की थी, उससे ज्यादा नही है। इसलिये मेरा कहना है कि अगर हमें अपने वायदे को निभाना है, तो हमें वार-फुटिंग पर काम करना पड़ेगा, इस समस्या पर चारों तरफ से अटैक करना पड़ेगा।

माननीय शास्त्री जी ने जिस चीज की माग की है वह केवल हमारे देश मे ही नही है, बल्कि दुनिया के अन्य देशो मे भी है। मैं आपके सामने फ्रेंच कास्टीटूशन को कोट करता हूं। वहा प्रावधान है—

"Everyone has the duty to work and the right to obtain employment....Every human being who, because of his age, his physical or mental condition, or because of the economic situation, finds himself unable to work, has the right to obtain from the community the means to lead a decent existence."

इसी तरह से यू० एस० एस० आर० मे, जापान में ऐसी व्यवस्था है। जापान के कांस्टीच्यूशन का आर्टिकल 7 कहता है—

"All people shall have the right and obligation to work. Standards for wages, hours rest and other working conditions shall be fixed by law..."

इसी तरह की व्यवस्था लीबिया में है, दूसरे देशों में है। जनता पार्टी ने जनता से कुछ वायदा किया था और जनता उसके आधार पर देश में क्रान्ति लाई। लेकिन वह क्रान्ति अधूरी है, जब तक हम देश में इकानामिक रेवोल्यूशन नहीं लाते। जब तक हर आदमी को पेट भर रोटी, कपड़ा, मकान और दवाई नहीं मिलेगी, तब तक यह क्रान्ति अधूरी है—ऐसा मैं मानता हूं। इसलिये जनता पार्टी को जल्द से जल्द इस चीज के लिये कार्य करना चाहिये।

[श्री कंवर लाल गुप्त]

मेरा दूसरा निवेदन यह है—अगर इस देश में प्रजातन्त्र को कायम रखना है, तो यह आवश्यक है कि इस देश से इकानामिक-डिसपैरिटीज़ दूर होनी चाहिये और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलना चाहिये। भुखमरी खत्म होना चाहियें। यह ठीक कहा गया है—अगर ला-एण्ड आर्डर को ठीक रखना है, अगर स्टूडेन्ट अनरेस्ट को ठीक रखना है, अगर लेबर प्राब्लम को ठीक रखना हैं तो वह तभी रह सकती है जब उनकी आर्थिक अवस्था ठीक होगी। अगर उनकी आर्थिक अवस्था बिगड़नी जाए और ये चीजें ठीक हो जाएं, यह नहीं हो सकता है। इसलिए, सभापति महोदय, हमें देश से डिस्पेरिटीज़ दूर करनी होंगी। अगर हमें इस देश में डेमोक्रेसी को बचाना है तो हमें इस समस्या को हल करने के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए। जब हम इसको प्राथमिकता देंगे, तभी यह चीज़ हल हो सकती है। इसके लिए मेरा सुझाव है कि आपको अनएम्प्लाइमेंट की प्राब्लम को हल करने के लिए फेज्ड प्रोग्राम बनाना चाहिए। बिलो पावर्टी लाइन के नीचे जो लोग हैं उन्हें हमें ऊपर लाना है, उनका जीवनस्तर ऊपर उठाना है। यह सब तभी हो सकता है जब आप एक फेज्ड कार्यक्रम देश के सामने रखें। मैं तो अपनी सरकार से यह कहना चाहता हूं कि वह सबसे पहले एक टार्गेट फिक्स करे कि हम एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में जिनके नाम पांच साल से रजिस्टर्ड हैं, उन सबको एक साल में नौकरी दे देंगे ताकि एक साल के बाद हम अपनी सरकार से पूछ सकें कि आपने वह टार्गेट पूरा किया या नहीं किया। इस तरह से दस साल के अन्दर आप आहिस्ता-आहिस्ता करके हरेक को नौकरी दे दें। यह न हो कि आप दस साल के बाद कहें कि हमने टार्गेट पूरा कर दिया है, आप एक फेज्ड प्रोग्राम बना कर देश के सामने रखिये। पांच साल से जो लोग एम्प्लायमेंट एक्सचेंजो में रजिस्टर्ड हैं, अगर सरकार उनको नौकरी नही दे सकती है तो उन्हें बेरोजगारी का भत्ता दे। पहले आप पांच साल वालों को नौकरी दें, फिर चार साल वालों को और फिर तीन साल वालों को नौकरी दें। इस तरह से एक फेज्ड प्रोग्राम बना कर आपको देश के सामने रखना चाहिए।

सभापति महोदय, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जिस गति से पहली सरकार जा रही थी, उसी गति से जनता पार्टी की सरकार भी जा रही है। इस देश में जनता पार्टी को बहुत जबर्दस्त समर्थन मिला है लेकिन आप को याद रखना होगा कि हमें जनता की समस्याएं भी हल करनी हैं। आप देखिये कि हमारा रेट आफ ग्रोथ पांच परसेंट है। इस पांच परसेंट रेट आफ ग्रोथ से हमारा काम नहीं हो सकता है। साऊथ कोरिया का रेट आफ ग्रोथ 14 परसेंट है। साऊथ ईस्ट एशिया के छोटे-छोटे जो देश हैं उनमें किसी का 14 परसेंट है, किसी का 13 परसेंट है। अगर वे लोग अपना इतना रेट आफ ग्रोथ कर सकते हैं तो यह देश क्यों नहीं कर सकता है? इस देश के अन्दर सारा रा-मेटेरियल्स है, टैक्नोलोजी है टेक्निकल नो हाऊ है। इसके बावजूद हम इतना रेट आफ ग्रोथ क्यों नहीं कर सकते हैं? ऐसा लगता है कि विल नहीं है, डिजायर नहीं है और जिस तरह की इच्छा शक्ति होनी चाहिए वह नहीं है।

सभापति महोदय, मेरा कहना यह है कि अब जनता पार्टी के लिए वार्निंग का समय आ गया है। 15 महीने तक आप यह सब करते रहे अगर अब भी यह ड्रामा बन्द नहीं हुआ, और इसी तरीके से यह चलता रहा, जनता के कामों को आपने नहीं किया और हमने जो वायदे किये थे उनको पूरा नहीं किया तो Let it be a warning to all of us. It is not related only to the Janata Party: it is a challenge to democracy and to all those who believe in the welfare of the country. If we fail in it, God knows what will happen.

इसलिए मेरा कहना यह है कि आप जल्दी से जल्दी योजना बनायें। केवल योजनाएं ही नहीं बननी चाहिए बल्कि हर साल बाद सरकार को यह भी बताना चाहिए कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया, इतनेलोगों को काम दिया, इतनी डिस्पेरिटीज कम की। जनरल बात करने से कोई काम चलने वाला नहीं है। मैं आशा करता हूं कि सरकार वार फुटिंग पर काम करेगी। नहीं तो देश में एक ब्लड बैड होगा, खूनी क्रांति होगी जिसे हममें से कोई नहीं चाहता है। इसलिए मुझे आशा है कि सरकार इस बिल पर विचार कर इस पर अमल करेगी।

श्री राजनारायण (राय बरेली) : सभापति महोदय, जब मनुष्य पैदा हुआ है तो उसको जीने का हक है। जीने के लिए खाने का हक है और खाने के लिए काम पाने का हक है। इसलिए शास्त्री जी ने जो बिल रखा है, मैं उसका पूर्णरूपेण हृदय से समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : आपसे यही प्रार्थना है कि संक्षेप में ही अपनी बात कहियेगा।

श्री राजनारायण : बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूं। अब हम चूंकि शातिभूषण जी के पास बैठे हैं, ये हम से चाहते है कि हम उनके सामने अपनी कुछ योजना रखें। मैं यह चाहता हूं कि खेतिहर मजदूरो को आप जमीन दें। अपने देश में जितनी जमीन फालतू है, ऊसर है, बंजर है, पानी से बहाया इलाका है, पहाडी इलाका है, उस जमीन पर खेतिहार मजदूरों को काम दिया जाए और उनसे कहा जाए कि वे उस जमीन को खेती के काम में लायें।

दूसरी बात मैं यह चाहता हूं कि एक सिंचाई सेना बने। सिंचाई सेना का मतलब यह है कि देश में 33 करोड़ एकड़ जमीन मे खेती होती है जिसमें से 25 करोड़ एकड़ असिंचित है। उस जमीन को सिंचित करने की व्यवस्था होनी चाहिये। उसके लिए सिंचाई सेना बननी चाहिये .

देश में 42 करोड़ के करीब लोग अशिक्षित हैं। उनके लिए एक शिक्षक दल तैयार हो। जो पढ़े लिखे विद्यार्थी देहातों और शहरों में बेकार पड़े हुए हैं उनके लिए एक स्कीम बना दी जाय और कह दिया जाएकि इतने रुपये हम उनको देंगे, इतने कपड़े और इतना खाना देंगे और इतने दिन में वे इन अशिक्षित लोगों को शिक्षित कर दें। प्रौढ़ शिक्षा की योजना सरकार ने चलाई है। उससे काम नहीं बनेगा। मैंने कहा है कि खेतीहर पलटन, सिंचाई सेना, शिक्षक दल ये सब तैयार करने चाहिये। इन में करीब पचास लाख लोगों को काम मिलेगा। उसी तरह से ऊंची आमदनी और नीची आमदनी का एक रिश्ता कायम होना चाहिये। डा० लोहिया के समय में हमने एक आ कड़ा निकाला था। उस समय हमने कहा था :

सौ से कम न हजार से ज्यादा
सोशलिज्म का यही तकाजा

अब चूंकि रुपये का डिवेल्युशन हो गया है, इसको आप कुछ बढा सकते हैं। अगर हम किसी भी व्यक्ति की चाहे वह नौकरी पेशा हो या उद्योग धंधा करता हो या खेनी करता हो और उसकी आमदनी एक हजार तक सीमित कर ें तो डेढ़ हजार करोड़ रुपया या 18000 करोड़ रुपया हम को सालाना बचत हो जाएगी जिसको हम इन सब लोगों को काम देने पर खर्च कर सकते हैं। लेकिन वह भी नहीं हो पा रहा है। बराबर हम लोग कहते आ रहे हैं लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

17.12 hrs.

[SHRI RAM MURTI *in the Chair*]

[श्री राज नारायण]

देश में कितने लोगों की ग्रामदनी चार ग्राना, छ ग्राना, ग्राठ ग्राना, एक रुपया ग्रौर दो रुपया रोज है। ग्राज तक सरकार भी पावर्टी लाइन की बात करती ग्रा रही है, हम भी चिलाते ग्रा रहे हैं लेकिन यह गरीबी की रेखा क्या है क्या शान्ति भूषण जी बता सकते हैं? उनकी सरकार ने गरीबी की रेखा क्या बनाई है? कौन सी रेखा है जिस को हम मानें कि गरीबी की रेखा है? दुनिया के बड़े मुल्कों को ग्राप ले। ग्रमरीका मे 24 हजार रुपये से कम सालाना जिस की ग्रामदनी है उसको गरीबी की रेखा के नीचे माना जाता है ग्रौर इतने पैसे जोड़ कर मासिक उनको दिया जाता है। ग्रपने देश में कोई गरीबी की रेखा नही बनी है।

बड़ा ही साधु प्रस्ताव यह ग्राया है। इसके लिए मैं माननीय सदस्य को बधाई देता हू। सभी को सहज भाव से इसको स्वीकार कर लेना चाहिये। सरकार को उनको बाध्य करना चाहिये कि वह इसको कार्यान्वित करे।

ग्राकड़ा देने से कोई लाभ नही है। घोषणा पत्र पढ़ कर मैं ग्रापको सुना देता हू। उस में यह कहा गया है

> रोजगार को बुनियादी ग्रधिकार मान कर
>
> भरपूर रोजगार की व्यवस्था।

मैं कहता हू कि 16-17 महीने बीत रहे हैं लेकिन रोजगार की व्यवस्था का मुह हमने नही खोला है। मैं चाहता हू कि शान्ति भूषण जी इसका मुह तो खोल दें।

मैं तहेदिल से शास्त्री जी का समर्थन करता हू ग्रौर ग्रपने भाषण को समाप्त करता हू।

श्री वसन्त साठे: कान्स्टीट्यूशन ग्रमेंडमेंट बिल ग्रा रहा है उस मे यह प्रावधान कर दें।

श्री राज नारायण: मेरे मित्र साठे जी खड़े हो गए हैं, उन्होने कहा ग्रहकार मत करो। उनकी इस बात का मैं पूर्ण रूपेण समर्थन करता हूं। किसी को ग्रहंकार नहीं करना चाहिये। तुलसी दास जी ने कहा है:

> ग्रहंकार ग्रति दुखद डमरुग्रा
>
> दम्भ, कपट, मद मान नहरुग्रा।

उत्तर खड के 21वें दोहे के नीचे यह पाया जाता है। नहरुग्रा एक रोग है जो पौधे को जड़ से काट डालता है। देश को नहरुग्रा रोग ग्राजादी रुपी पौधे को ग्रारम्भ से ही लग गया है। इसलिए सारा मामला बिगड़ गया है।

श्री वसन्त साठे: हमे मालूम था कि राज नारायण जी डमरुग्रा बजाएगें।

MR CHAIRMAN. The hon. Minister

चौधरी बलबीर सिह (होशियारपुर): सभापति जी, 5 मिनट का समय हमे भी दे दें।

सभापति महोदय. ग्रब समय बहुत कम है क्योकि इसके बाद शास्त्री जी को बोलना है। उसके बाद ग्राधे घंटे का डिस्कशन है।

SHRI H L. PATWARY (Mangaldoi): I want to draw the attention of the House and also for the information of the Minister to reply. I would to like to raise a point for the convenience of the Minister. I do not want to speak.

सभापति महोदय: पटवारी जी ग्राप क्या करने लग गये?

श्री एच० एल० पटवारी हमारे देश में बेरोजगारी क्यों बढ़ती है। दो तरीके हैं। एक तो हिन्दुस्तान में बाहर से ग्राते हैं .....

सभापति महोदय : आप कहां से बोल रहे हैं।

श्री एच० एल० पटवारी : हमारे आसाम में ग्वालपाड़ा में एक आदमी को 72 बच्चे पैदा हुए। अब जब इतने बच्चे पैदा होंगे और बाहर से भी आदमी आयेंगे .....

सभापति महोदय : इसकी कोई रेलीवेंस नहीं है। इसका मतलब यह है कि सदन का काम ही नहीं इस तरह चलेगा।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : संविधान में आर्टिकिल 23(बी) और होना चाहिये राइट टु स्पीक का। आप देखें कि बेरोजगारी कहां जा रही है? एक साल मे 6 मिनिस्टर बेकार हो गये है। मोरार जी भाई ने कहा था कि बेरोजगारी 10 साल मे दूर होगी, लेकिन यहां एक साल मे 6 मिनिस्टर बेकार हो गये तो इस तरह बेरोजगारी कहां जायेगी।

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): I would like to congratulate the mover of the Bill for highlighting the most important problem which the country is facing today and has been facing for quite a long time. It is true that the first step towards the solution of any important problem is to highlight it properly and I am very happy that the hon. Members from all sides of the House have lent their voice in support of the sentiments which were behind the Bill that has been introduced by the hon. mover.

Sir, it is my misfortune that I do not find it possible to accept this Bill in spite of welcoming the moving of this Bill by the hon. mover...

SHRI VASANT SATHE: ...and in spite of the manifesto of the Party to which I belong.'

SHRI SHANTI BHUSHAN: So far as the manifesto is concerned, may I reply to this point about the manifesto?

It is quite true that when something is said in the manifesto, it must be seriously meant. But at the sametime, it is important to construe the manifesto properly as to what exactly was intended to be said by the manifesto. If the manifesto says that we shall do this. does it mean to say that we shall do this the very first moment when we take oath of office? Obviously, it has to be done at the proper time...

SHRI K. GOPAL: So, here "shall" should be construed as "may"?

श्री रामधारी शास्त्री (हुदरौना) : इसके माने यह है कि सब से आखिर में होगा।

श्री शान्ति भूषण : उसके लिये पृष्ठभूमि बना कर होगा। अगर कोई घोषणा पत्र में यह लिखे कि हम ऐवरेस्ट पर झंडा फहरायेंगे और वह उसके बाद जाये अपने जूते खरीदने, कपड़े, रस्सी लाने, घोड़े, मजदूरों का इंतजाम करने और उससे अगर यह कहा जाय कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने तो घोषणा-पत्र मे लिखा था कि झंडा फहराओगे, यह तो नही लिखा था कि सामान खरीदोगे, इन सब मे वक्त क्यों बरबाद कर रहे हो, सीधे झंडा फहराओ, तो यह कैसे सम्भव है? इंतजाम तो उसको करना ही पड़ेगा।

श्री वसंत साठे (अकोला) : अब आप किस स्टेज पर हो? जूता खरीद रहे हो?

श्री के० गोपाल (करूर) : झंडा? तो चौधरी साहब ने ले लिया है।

SHRI SHANTI BHUSHAN: Because, if I am not interrupted, what shall I speak about? Now, may I put this question for the kind consideration of the hon. Members that, if by merely writing it in the Fundamental Rights, if everyone can get employ-

[Shri Shanti Bhushan]

ment, I would immediately welcome and accept this; if, by either writing something in the election manifesto or even by writing it in the Constitution, every unemployed person would immediately get employment, then, perhaps, the Government would have accepted this Bill.

But, it is quite clear that merely by writing it in the Constitution it may not be possible. I am here reminded of a case in which a person had been declared insolvent. People said that we do not have money; somebody said 'Alright' I will pass a decree in your favour against the insolvent person for Rs. 2 lakhs each so that 2,000 persons who were given the decrees against that insolvent person may have Rs. 2 lakhs each.' If, of course, the decrees could be treated, as a very valuable thing, it is all right. But by merely writing something, do you mean to say that you can solve every problem *(Interruptions)* I would like the hon. Members to seriously consider that when something is written in the Election Manifesto, it means that we shall work towards this objective—not that we shall start by achieving the objective and thereafter we shall do something What shall we do thereafter? If the entire election manifesto is supposed to be implemented on the very first day, then what does the Government do on the next day?

Obviously, therefore, the purpose of writing something in the Election manifesto is this. *(Interruptions)*. The idea is that our policy has to be directed towards achieving what we have written out in the Election Manifesto. We have to work for that. For instance, we said in the Election Manifesto that the right to property as a fundamental right shall be deleted. Does it mean that on the 24th March, 1977 when this Government took office, the right to property should have been deleted on that very day itself? If it was not done, then the Government could be accused of contravening that. *(Interruptions)*.

श्री रामधारी शास्त्री : 24-5-78 तक तो होना चाहिये था।

श्री उग्रसेन : दिल्ली जाना है तो दिल्ली का टिकट तो होना चाहिये।

SHRI SHANTI BHUSHAN: Quite right. That is right. If we are moving in the opposite direction, the hon. Member would be perfectly justified in condemning us. It is said that we will provide right for work on the one hand. On the other hand you say that we should also provide the fundamental right for employment. Then of course, it could certainly have been said.

चौधरी बलबीर सिंह : खर्च पर पाबन्दी लगाओ, तो करोड़ों रुपया मिल जायेगा। हराम की कमाई का पैसा खा रहे हैं। वहां से पैसा मिल जायेगा, खर्च पर पाबन्दी लगाइये।

SHRI SHANTI BHUSHAN: Now Sir........*(Interruptions)*.

SHRI SAUGATA ROY: What about providing employment to the unemployed ministers?

SHRI SHANTI BHUSHAN: Now, Sir, so far as the Election Manifesto is concerned, what is written in the manifesto is concerned, it means that Government has to strive for implementing the promise which is made. And obviously, the Government will have to consider what are the steps which are necessary, in which sequence, those steps have to be taken. I submit that before you write down the fundamental right to employment to every person, guarantee employment to every person, you have to take certain preparatory steps. It is only after you have taken those preparatory steps and brought about the

country in such a condition that you are in a position to really implement and enforce what you write as a fundamental right. What is the difference between fundamental right and the Directive Principle? The Directive Principle indicates the direction in which the country has to proceed. So far as the fundamental right is concerned, it is enforceable You can go to a court of law to enforce that right. If you write in the fundamental rights today that every person in the country would get employment.. *(Interruptions)*.

श्री उग्रसेन : वित्तीय ज्ञापन में लिखा है कि अगर 600 करोड़ रुपया सालाना हमारी सरकार दे दे तो इस समस्या का हल हो जायेगा । फाइव स्टार होटलों पर सरकार पैसा खर्च कर रही हैं, वहां से बचाना चाहिये ।

SHRI SHANTI BHUSHAN: I hope the hon'ble Member has gone into those calculations because if he has gone into those calculations then, perhaps, the problem will not be so stupendous but I will give you certain figures.

चौधरी बलबीर सिंह (होशियारपुर) : सरकार ने फ़ाइव-स्टार होटल खोल रखे हैं, जिन में एक दिन का ठहरने का खर्च 250 रुपये है । क्या हमारा समाज इस ढंग से चलेगा । सरकार खर्च पर पाबंदी लगाये । वहां से जो पैसा बचे, वह उन लोगों को दिया जाये, जिनके पास नहीं है ।

SHRI SHANTI BHUSHAN: May I give certain relevant statistics also in this connection. There was an enquiry conducted by NSSO in October 1972 to 1973 and according to the estimates which had been made available on the basis of that enquiry the total extent of unemployment including under-employment—because obviously when you want to guarantee employment there is no sense of guaranteeing employment if it is just merely some kind of under-employment. It should be proper employment on the basis of which a person can at least live above the poverty line. That was calculated to be of the equivalent of 19.4 million people being wholly unemployed of which equivalent of 15.8 million were in the rural areas

चौधरी बलबीर सिंह : सड़के, नहरे और मकान बनाये जायें । नोट को पैसा न मानिये ।

SHRI SHANTI BHUSHAN: All those things have to be done. Something has been mentioned about irrigation by Shri Raj Narain ji. He gave certain figures, namely, that there is so much of unirrigated land. Obviously if it can be converted into irrigated land the employment potential of that land will increase. While unirrigated land can provide employment to lesser number of people, irrigated land can provide work to many more people. But the question is: Can such vast unirrigated land be converted into irrigated land in one moment? It requires various projects. Projects have to be conceived and implemented

श्री उग्रसेन : हम इसके लिए तीस साल से चिल्ला रहे है । अगर सरकार ने इस बारे में कोई योजना भी बना दी होती, तो पता चलता कि कुछ हुआ ।

SHRI SHANTI BHUSHAN It is quite right I do not think anybody would say that the extent of irrigated land has not increased. It might not have increased sufficiently. But at the same time that is not the only problem, namely, merely by increasing the irrigated land there will be increase in employment opportunities. If it had been so then why you had the backlog of so many people. Alright you conceive of so many projects that so

[Shri Shanti Bhushan]

many additional hands will be given employment But every year this force of unemployed people is rising at a very fast pace

श्री उग्रसेन : अगर सरकार और इन्तजार करेगी, तो उनकी सख्या और भी बढ़ जायेगी। इसलिए वह इस काम को जल्दी करे।

SHRI SHANTI BHUSHAN If merely by writing in the Constitution unirrigated land would become irrigated and all kinds of employment avenues will arise merely by writing in the Constitution the House will certainly do it Who will oppose it? But merely by writing in the Constitution you do not convert unirrigated land into irrigated land You do not create other conditions in which employment opportunities would be there

श्री रामधारी शास्त्री (पदरौना) पहले कान्स्टीट्यूशन बना, और उस में फंडामेंटल राइट्स के लिए प्राविजन हुआ, तब लोगो ने उन्हें क्लेम करना शुरू किया। ऐसा तो नहीं हुआ कि पहले लोगो ने क्लेम किया, और फिर फंडामेंटल राइट्स बने। इस लिए पहले कानून बनेगा, तभी काम होगा।

SHRI SHANTI BHUSHAN No Sir The position is there are fundamental rights and fundamental rights There are fundamental rights of a negative nature which impose a restriction on the powers of the State You shall not put somebody in the jail

श्री उग्रसेन क्या सरकार बेकारी का भत्ता देगी या नहीं ? वैस्ट बंगाल गवर्नमेंट दे रही है। केरल गवर्नमेंट ने दिया है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सामने यह प्रोपोजल है।

SHRI SHANTI BHUSHAN I will deal with that Quite right Without creating a fundamental right if some governments are in a position to give some unemployment relief to some people it stands on an entirely different footing because I would like to tell the hon'ble Members that no government is saying—at least many governments are not saying—that they are in a position to give even unemployment relief to every unemployed person

In some places it is said that in respect of anybody whose name has remained on the live register of the Employment Exchange for more than five years, some allowance should be given to him Does it mean that every unemployed person once you write it as a fundamental right *(Interruption)*. That is precisely what I am saying Let the hon Members hold their hearts in patience for a minute You have to make a beginning Then you have to go to the second stage Then you have to go to the third stage But if you write a fundamental right in the manner in which it is proposed, the question of stage does not arise at all That is precisely what I am pointing out

SHRI VASANT SATHE You can put restrictions Under Art 19 you can say here is a fundamental right, and you can put restrictions on that

SHRI SHANTI BHUSHAN No, Sir That is not the position I would like to point out to Mr Sathe So far as fundamental rights are concerned like Art 19, they permit reasonable restrictions being imposed on the fundamental right, but the kind of the fundamental right which is being introduced here is like this May I invite his attention to the new Article 23A which is being proposed? It does not contemplate any restriction or any dilution It says, all citizens shall have the right to work

SHRI VASANT SATHE Don't catch him on that You take the spirit You don't catch him on the letter of it; if you agree to the spirit a way can be found

SHRI SHANTI BHUSHAN: I am saying that, I agree with the spirit, so far as the spirit of the Bill is concerned; I entirely agree. Sir, this is not a country which exists for a few individuals. This is not a country where the exploitation of the common man would be permitted. The first and the foremost people whose interests would be looked after would be the unemployed people. This is so far the biggest problem, the greatest problem, which this Government has to tackle. (*Interruptions*).

SHRI RAGAVALU MOHANARANGAM (Chengalpattu). We want to listen to the Minister. Why do they create all sorts of unecessary complications? Please ask them not to shout.

श्री हुकम देव नारायण यादव (मधुबनी) : सभापति महोदय, आधे घंटे का डिस्कशन कब प्रारम्भ होगा ?

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : सभापति महोदय, यह 17 नम्बर का आइटम उपस्थित करने का मौका दिया जाय ।

सभापति महोदय : पहले इस को खत्म तो हो जाने दीजिए ।

SHRI SHANTI BHUSHAN: So far as the sentiments of the House are concerned, there is absolutely no controversy. There is no difference of opinion. May be that I have forgotten my Constitutional law completely May be that I do not understand what will be the meaning of what is being proposed, and what will be the consequence and whether it will be practicable or not. I agree there. It is quite possible that I might have forgotten all that. But, with the limited understanding of the constitutional provisions that I have, I would like to appeal to the hon. Members, with the utmost humility, kindly to see things in their proper perspective.

The solution cannot be by merely writing down the fundamental right straightway. We have to work.

SHRI SAUGATA ROY: Take the first step.

SHRI SHANTI BHUSHAN: I entirely agree. There has to be a first step, second step and third step, and finally, let us move towards that final goal when proudly we will be able to write down the fundamental right to work in the Constitution as such.

श्री रामधारी शास्त्री : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बेकारी दूर करने की दिशा में क्या वह बडे बड़े कारखानो में काम के घंटे 8 से घटा कर 6 प्रति दिन करने को तैयार है जो आइ. एल. ओ. ने सिफारिश की है ?

AN HON. MEMBER: How long will it take to reach the finel stage? (*Interruptions*).

SHRI SHANTI BHUSHAN: Taking it to its logical conclusion from 8 hours to 7 hours and 6 hours and 4 hours; from 4 hours to 2 hours; from 2 hours to zero hours—what is this—namely that people should not work, there should be total unemployment?

श्री रामधारी शास्त्री : यह आइ. एल. ओ. की सिफारिश है । भारत सरकार उसकी एक पार्टी है । भारत की सरकार ने यह प्रामिज किया है कि हम उस दिशा में काम करेंगे ।

सभापति महोदय : हाउस का टाइम इस बिल के लिए 5-37 तक है ।

SHRI SHANTI BHUSHAN: Time may be extended a little so that at least I may complete what I have got to say.

सभापति महोदय : क्या सदन की राय है कि टाइम बढ़ा दिया जाय ? . . . .

सदन की राय से टाइम बढ़ाया जाता है ।

SHRI SHANTI BHUSHAN: 10 minutes more.

PROF. P. G. MAVALANKAR: I appeal to the Law Minister through you, Sir, that he may continue upto 5-37 i.e. till my Half-an-hour discussion starts. My Half-an-hour discussion cannot be scuttled.

सभापति महोदय : मैं हाउस का सेंस ले लूंगा। अगर टाइम कम रहेगा तो थोड़ा टाइम उसके लिए बढ़ा देंगे।

SHRI SHANTI BHUSHAN: Sir, I would sit down since you want :ne to sit down.

सभापति महोदय : बाद में देखेंगे, अगर हाउस का सेंस होगा तो टाइम बढ़ा देंगे।

SHRI SAMAR MUKHERJEE: There is another Calling Attention Notice after Half-an-hour discussion.

सभापति महोदय : वह इसके बाद में आयेगा।

PROF. DILIP CHAKRAVARTY (Calcutta South): Nobody will show his desire that the Minister may cut short his speech. The question is how to accommodate all the programmes. So, you can extend the time of the House.

MR. CHAIRMAN Yes, this is a very important Bill

SHRI SHANTI BHUSHAN: I was trying to say that the hon. Members will, I hope, take it in the proper spirit in which I am saying it, namely that it is a very important objective. In fact, the Janata Government has placed it as a most important objective which they have approached it, namely, that there should be an employment for everybody. That is the only thing which can solve the problems of the country.

SHRI VASANT SATHE: In your manifesto it is mentioned that this will be done in a phased manner.

SHRI SHANTI BHUSHAN: In the manifesto, it is not mentioned that this will be made fundamental on such and such date.

SHRI VASANT SATHE· You say that this will be done by phased programme.

SHRI SHANTI BHUSHAN: The manifesto is not written like that. Mr. Sathe knows it very well because he has endorsed so many manifestoes. He knows how manifestoes are drafted.

SHRI SAUGATA ROY: Mr. Morarji Desai said that unemployment would be removed within ten years.

SHRI C. K. CHANDRAPPAN: Is there any sign of removing unemployment in the country after 15 months?

SHRI SHANTI BHUSHAN· That is for those to see who are interested in saying it. Now, anybody who has tried to see as to what kind of Five Year Plan is being prepared by the Planning Commission, would know, anybody who has cared to read the Industrial Policy, the Economic Policy, etc., would know that the Government is moving in those directions. Now, firstly, I was trying to highlight the stupendous nature of the problem because every year it has been calculated that at present the number of unemployment and under-employment is equal to about 21 millions—fully unemployed persons today—and every year this is increasing by 5 million people which means that during the next ten years, new jobs have to be found for 70 million people and this is what the Government has said that their programme and their policies, their calculations to provide employment to everybody within a time-frame of ten years have to be worked out. You have to calculate for

this. First you have to have a job because the preparatory move has to be made, the plans have to be prepared, the project has to be made, orientation has to be given to certain policies and so on. So it is only thereafter...... (*Interruptions*) I will give an example here. Somebody said that he expected to manufacture 300 cars in one year. So, a friend of his went to him after two days and asked him "where are the two cars because you said you would manufacture 300 cars which means one car per day or so. Therefore, you should have manufactured two cars in two days".

SHRI RAGAVALU MOHANARANGAM But one year has passed after the Janata Party assumed office.

SHRI SHANTI BHUSHAN: So, the prepartory work has to be done first Thereafter, the results have to come. But the results will come surely and definitely. There is no reason to doubt that.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): Sir, time may be extended for discussing this Bill. This can be taken up next day.

SHRI VASANT SATHE: Sir, what practice you are following? Every time you say we can continue next day.

SHRI SAUGATA ROY: Every time you say next session .(*Interruptions*)

SHRI RAVINDRA VARMA: Shri Mavalankar had asked a specific question whether his half-an-hour discussion would be taken up at 5.30 and in answer, he was assured by the Chair that it would be taken up at 5.37. Therefore, I thought, I should remind hon. Members that since his half-an-hour discussion has to be taken up and the Speaker has given a committment for that, the only answer would be to extend the time for this Bill and take it up next time. Some other hon. Members also want to speak on the Bill.

MR. CHAIRMAN: We will take it up next time.

इस को दूसरे दिन लेंगे ।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : मान्यवर, इस का समय बढा दीजिये ।

सभापति महोदय : ठीक है, इसको अगले दिन लिया जायगा । अब मैं हाफ़-एन-आवर डिस्कशन के लिये बुलाता हूं ।

17.41 hrs.

HALF-AN HOUR DISCUSSION

INDO—US SUB-COMMISSION ON EDUCATION AND CULTURE

MR. CHAIRMAN: The House will now take up half-an-hour discussion to be raised by Prof. Mavalankar.

PROF. P. G MAVALANKAR (Gandhinagar): Mr. Chairman, Sir, I am compelled to initiate this half-an-hour discussion on an important subject concerning the relationship between our country and United States of America and the reasons that compelled me are somewhat personal, but predominantly of a public nature.

Although I am bound to say at the very outset that I also wish to raise certain other procedural matters including matters about composition of Commissions and sending members of the Commissions to various countries—in this case to America—for the benefit and advantage of India, I am raising this half-an-hour discussion for the simple reason that I feel distressed and disturbed that the Education Minister, my distinguished and good friend, Dr. Chunder, should have chosen to give an inaccurate, eva--sive and misleading answer to my specific Unstarred Question on the very first day when we met for the Monsoon session, Monday, the 17th